न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 112/2019

अनवान :

1. मनोज पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. हेमराज पुत्र स्वरूपा जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र हेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राकेश पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. इन्द्रा पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कमला पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. मीरां पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. प्रेमादेवी पत्नी रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. एमआरजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0अधिनियम 195
5

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : वादी

वकील श्री रविन्द्र मोठसरा : प्रतिवादी सं0 8

निर्णय दिनांक : 12-3-2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:12 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार [illegible] मौजा कणाऊ के खाता सं0 360/355 के खसरा सं0 265 की [illegible] खसरा [illegible] की 6.993 है0, खसरा सं0 643/185 की 4.932 है0 कुल क्षेत्रफल 16.958 है0 [illegible] खातेदारी कृषि भूमि [illegible] दादा प्रतिवादी सं0 1 हेतराज के नाम दर्ज है एवं रोही [illegible]ाऊ के खाता सं0 257/[illegible] खसरा सं0 107 की 4.274 है0, खसरा सं0 203 की 13.418 है0, खसरा सं0 496 की 11.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

20 है0 खसरा सं0 550 की 4.059 है0, कुल क्षेत्रफल 33.171 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी के दादा हेमराज के नाम 80 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी मनोज प्रतिवादी सं0 1 का पौत्र है, प्रतिवादी सं0 2 वादी का पिता है, प्रतिवादी सं0 3 व 4 वादी के सगे भाई है, प्रतिवादीया सं0 5 वादी की सगी बहन है। प्रतिवादी सं0 6 व 7 वादी की भुवा है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है, जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता स्वरूपा से विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसानों का जन्म से हक निहित है। प्रतिवादी सं0 2 रामकुमार की बहनों प्रतिवादीया सं0 6 व 7 ने अपने जीवन काल में ही प्रतिवादी सं0 2 रामकुमार व उसके पुत्रों के पक्ष में व प्रतिवादीया सं0 5 ने अपने भाईयों के पक्ष में अपना हक हिस्सा तर्क कर शुन्य कर लिया था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 8 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 9 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी मनोज के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्वरूपा से विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसानें को जन्म से हक निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति होना तथा प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 360/355 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 257/256 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2 व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग (सैटलमेंट विभाग) ग्राम कणाऊ सम्वत् 2020 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा हेमराज व परदादा सरूपा वल्द चोखा के नाम दर्ज है जिससे उक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में हेमराज के वारिसान में पत्नी प्रमेश्वरी, एक पुत्र रामकुमार, दो पुत्रियां कमला [illegible] रामकुमार के वारिसान में पत्नी प्रेमा देवी व तीन पुत्र [illegible] कुमार, म[illegible] कुम[illegible] राकेश कुमार व एक पुत्री इन्द्रा शर्मा होना व इनके अलावा [illegible] अंकित है तथा प्रतिवादिया कमला, इन्द्रा, मीरा ने वाद कृषि भूमि में से अपना [illegible] हिस्सा रामकुमार व रामकुमार के पुत्रों कृष्ण, मनोज, राकेश व प्रतिवादीया सं0 8 के [illegible] में तर्क कर शुन्य कर लिया है जिसे उन्होने अपने राजीनामा में स्वीकार किया है। प्रतिवादिया सं0 8 ने वाद की सभी मदों

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

को स्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया है। वादी के दावा का कोई खण्डन पेश नहीं है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 360/355 के खसरा सं0 265 की 5.033 है0, खसरा सं0 503 की 6.993 है0, खसरा सं0 643/185 की 4.932 है0 कुल क्षेत्रफल 16.958 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के दादा प्रतिवादी सं0 1 हेतराज के नाम दर्ज है एवं रोही कणाऊ के खाता सं0 257/256 के खसरा सं0 107 की 4.274 है0, खसरा सं0 203 की 13.418 है0, खसरा सं0 496 की 11.420 है0 खसरा सं0 550 की 4.059 है0, कुल क्षेत्रफल 33.171 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी के दादा हेमराज के नाम 80 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हेमराज के बजाय वादी मनोज 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हेमराज 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 कृष्ण 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 राकेश 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 8 प्रेमादेवी 3/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया कमला, इन्द्रा, मीरा ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रामकुमार व रामकुमार के पुत्रों कृष्ण, मनोज, राकेश व प्रतिवादीया सं0 8 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी मनोज के नाम 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हेमराज के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार के नाम 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 कृष्ण के नाम 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 राकेश के नाम 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 8 प्रेमादेवी के नाम 3/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

NOTE → दिनांक 12/03/2020 को जारी इस निर्णय में सभी जगह प्रतिवादी सं. 1 को हेमराज, प्रतिवादी सं. 2 को रामकुमार प्रतिवादी सं. 3 को किशन तथा खाता सं. 360/355 के खसरा सं. 643/185 के [illegible] 643/165 पढ़ा जावे। अतः [illegible] राजकुमार की जगह रामकुमार, [illegible] किशन तथा खसरा सं. 643/185 के स्थान पर खसरा सं. 643/165 पढ़ा जावे।

17/08/20
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 112/2019

अनवान :

1. मनोज पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. हेमराज पुत्र स्वरूपा जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र हेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राकेश पुत्र रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. इन्द्रा पुत्री रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कमला पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. मीरां पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. प्रेमादेवी पत्नी रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांव कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. एमआरजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रवन्धक शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल एवं वकील प्रतिवादी सं0 8 श्री रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 360/355 के खसरा सं0 265 की 5.033 है0, खसरा सं0 503 [illegible] की 4.932 है0 कुल क्षेत्रफल 16.958 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि [illegible] दादा प्रतिवादी सं0 1 हेतराज के नाम दर्ज है एवं रोही कणाऊ के खाता सं0 [illegible] की 4.274 है0, खसरा सं0 203 की 13.4[illegible] 11.420 है0 खसरा सं0 550 की 4.059 है0, कुल क्षेत्रफल 33.171 है0 बारानी कृषि [illegible] में वादी के दादा हेमराज के नाम 80 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हेमराज के बजाय वादी मनोज 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हेमराज 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 कृष्ण 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 राकेश 3/20 हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 8 प्रेमादेवी 3/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया कमला, इन्द्रा, मीरा ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रामकुमार व रामकुमार के पुत्रों कृष्ण, मनोज, राकेश व प्रतिवादीया सं0 8 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त, उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी मनोज के नाम 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 हेमराज के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार के नाम 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 कृष्ण के नाम 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 राकेश के नाम 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 8 प्रेमादेवी के नाम 3/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

NOTE - दिनांक 12-03-2020 को जारी इस डिक्री में प्रतिवादी सं. 1 को हेमराज, प्रतिवादी सं. 2 को रामकुमार व प्रतिवादी सं. 3 को किसन तथा खाता सं. 360/355 के खसरा सं. 643/185 के स्थान पर 643/165 पढ़ा जावे। अतः सभी जगह डिक्री में हेतराज की जगह हेमराज, राजकुमार की जगह रामकुमार तथा कृष्ण की जगह किसन तथा खसरा सं. 643/185 के स्थान पर खसरा सं. 643/165 पढ़ा जावे।

17/08/2020
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner